न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 18/15

महेन्द्रकुमार पुत्र श्री बलवन्त राम जाति जाट निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

बनाम

1. मोहन लाल पुत्र श्री रामधन जाति नाई निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. सरपंच,ग्राम पंचायत मन्नीवाली, श्रीगंगानगर।

गैर निगरानीकर्त्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश सरपंच ग्राम पंचायत मन्नीवाली दिनांक 20–12–2004

उपस्थित :
श्री तेजासिंह, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
श्री हरीश कुमार सौनी, अधिवक्ता, गैरनिगरानीकर्ता सं0 1

आदेश दिनांक : 10–07–2017

प्रस्तुत निगरानी का सार इस प्रकार हैं कि निगरानीकृत प्लाट अप्रार्थी सं0 1 को आवंटित किया गया था। वह आबादी भूमि नहीं है बल्कि गैरमुमकिन रास्ता है। रास्ते की भूमि को ग्राम पंचायत को अलॉट करने का अधिकार नहीं है। निगरानीकृत आदेश पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया है और न ही विधिवत् सुनवाई की गई है। पंचायत एक्ट के नियम 146 से 158 की पालना नहीं की गई है। आवंटन की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। ग्राम पंचायत द्वारा आवंटन के संबंध में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है और न ही ग्राम पंचायत के पास कोई रेकार्ड है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत आदेश निरस्त फरमाया जावे।

ग्राम पंचायत द्वारा निगरानी का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रस्ताव सं0 1 दिनांक 20–12–04 ग्राम पंचायत द्वारा ईएफएस के तहत विकास कार्य खड़वजां के संबंध में व्यय राशि बाबत है। उक्त प्रस्ताव से निगरानीकर्ता का कोई संबंध नहीं है। ग्राम पंचायत के नक्शे के अनुसार स्कूल की चार दीवारी पत्थर लाईन पर है। पत्थर लाईन के अनुसार विवादित स्थल गली है। इस प्रकार आम रास्ते की भूमि का आवंटन गलत रूप से कर दिया गया है। ग्राम पंचायत का निर्णय दिनांक 20–12–2004 को प्रस्ताव सं0 2 द्वारा किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा पुराने रिहायशी अहातों को कब्जे के आधार पर विनियमितिकरण की आड़ में सफेद जगह का दुकान हेतु आवंटन कर दिया गया है। मौके पर आज भी खाली जगह है जिसकी मात्र नींव भरी हुई है। निगरानीकर्ता का प्लाट सं0 415 मौका अनुसार रास्ता अवरूद्ध नहीं है और न

महेन्द्रकुमार पुत्र श्री बलवन्त राम जाति जाट निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. मोहन लाल पुत्र श्री रामधन जाति नाई निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. सरपंच,ग्राम पंचायत मन्नीवाली, श्रीगंगानगर।

गैर निगरानीकर्त्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश सरपंच ग्राम पंचायत मन्नीवाली
दिनांक 20–12–2004

उपस्थित :
श्री तेजासिंह, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
श्री हरीश कुमार सौनी, अधिवक्ता, गैरनिगरानीकर्ता सं0 1

आदेश दिनांक : 10–07–2017

प्रस्तुत निगरानी का सार इस प्रकार हैं कि निगरानीकृत प्लाट अप्रार्थी सं0 1 को आवंटित किया गया था। वह आबादी भूमि नहीं है बल्कि गैरमुमकिन रास्ता है। रास्ते की भूमि को ग्राम पंचायत को अलॉट करने का अधिकार नहीं है। निगरानीकृत आदेश पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया है और न ही विधिवत् सुनवाई की गई है। पंचायत एक्ट के नियम 146 से 158 की पालना नहीं की गई है। आवंटन की प्रकिया नहीं अपनाई गई है। ग्राम पंचायत द्वारा आवंटन के संबंध में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है और न ही ग्राम पंचायत के पास कोई रेकार्ड है। इस प्रकार निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत आदेश निरस्त फरमाया जावे।

ग्राम पंचायत द्वारा निगरानी का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रस्ताव सं0 1 दिनांक 20–12–04 ग्राम पंचायत द्वारा ईएफएस के तहत विकास कार्य खड़वजां के संबंध में व्यय राशि बाबत है। उक्त प्रस्ताव से निगरानीकर्ता का कोई संबंध नहीं है। ग्राम पंचायत के नक्शे के अनुसार स्कूल की चार दीवारी पत्थर लाईन पर है। पत्थर लाईन के अनुसार विवादित स्थल गली है। इस प्रकार आम रास्ते की भूमि का आवंटन गलत रूप से कर दिया गया है। ग्राम पंचायत का निर्णय दिनांक 20–12–2004 को प्रस्ताव सं0 2 द्वारा किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा पुराने रिहायशी अहातों को कब्जे के आधार पर विनियमितिकरण की आड़ में सफेद जगह का दुकान हेतु आवंटन कर दिया गया है। मौके पर आज भी खाली जगह है जिसकी मात्र नींव भरी हुई है। निगरानीकर्ता का प्लाट सं0 415 मौका अनुसार रास्ता अवरूद्ध नहीं है और न ही आवागमन अवरूद्ध होता है। प्रार्थी का रास्ता बंद होने से हित प्रभावित होता है।

निगरानी से संबंधित ग्राम पंचायत का रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि निगरानीकृत प्लाट अप्रार्थी सं0 1 को आवंटित किया गया था। वह आबादी भूमि नहीं

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

बल्कि गैरमुमकिन रास्ता है। रास्ते की भूमि को ग्राम पंचायत को अलॉट करने का अधिकार नहीं है। निगरानीकृत आदेश पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया है और न ही विधिवत् सुनवाई की गई है। पंचायत एक्ट के नियम 146 से 158 की पालना नहीं की गई है। आवंटन की प्रकिया नहीं अपनाई गई है। ग्राम पंचायत द्वारा आवंटन के संबंध में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है और न ही ग्राम पंचायत के पास कोई रेकार्ड है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं0 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि आवटंन दिनांक 20–12–2004 का है। निगरानी दिनांक 11.12.15 को पेश की है जो 11 वर्ष के अत्यधिक विलम्ब से पेश की गई है, विलम्ब को स्पष्ट नहीं किया गया है। निगरानी मियाद बाहर पेश की गई है। निगरानी में मियाद के लिए धारा 97(3) में 90 दिन की अवधि निर्धारित की हुई है। अतः मियाद के बिन्दु पर निगरानी खारिज होने योग्य है। बहस में आगे कहा है कि निगरानी के पैरा सं0 4 में कथन किया है कि प्लाट सं0 415 है जबकि दुकान का अलॉटमैन्ट है न कि मकान का। दुकान का नम्बर एस–9 है जिसका साईज 15 गुणा 20 फुट है जो ग्राम पंचायत से खरीद की है। निगरानी के पैरा सं0 9 में कथन किया है कि जानकारी दिनांक 25–2–15 को हुई है । मोहन लाल गैरनिगरानीकर्ता ने वर्ष 2007 में दावा पेश किया था। दुकान का निर्माण वर्ष 2007 में किया हुआ है। निगरानी पोषणीय नहीं है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज होने योग्य है।

जवाब में निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने कहा है कि मानलो निगरानी में गलत तथ्य पेश कर दिये थे लेकिन फिर भी निगरानी के लिए धारा 97 में कोई समय सीमा निर्धारित की हुई नहीं है। रिव्यू में 90 दिन की मियाद है। पक्षकार द्वारा जैसा बताया गया वैसा ही निगरानी की प्लिडिंग में अंकित किया गया है। बैठक का निर्णय 2007 का है जिसमें प्रस्ताव लिया गया था। पंचायत ने इसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है।

ग्राम पंचायत ने जवाब के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत किया है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि निगरानीकृत प्लाट अप्रार्थी सं0 1 को आवंटित किया गया था। वह आबादी भूमि नहीं है बल्कि गैरमुमकिन रास्ता है। रास्ते की भूमि को ग्राम पंचायत को अलॉट करने का अधिकार नहीं है। उक्त तर्क के खण्डन में वकील अप्रार्थी का कथन है कि निगरानी के पैरा सं0 4 में निगरानीकर्ता द्वारा कथन किया गया है कि प्लाट सं0 415 है जबकि वह प्लाट न होकर दुकान का अलॉटमैन्ट है । दुकान का नम्बर एस–9 है जिसका साईज 15 गुणा 20 फुट है जो ग्राम पंचायत से गैरनिगरानीकर्ता सं01 द्वारा खरीद की गई है।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया है कि निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत मन्नीवाली के आदेश दिनांक 20–12–2004 संकल्प सं0 1 को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया है।

संकल्प सं0 1 दिनांक 20–12–2004 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि संकल्प सं0 1 दिनांक 20–12–04 आवंटन से संबंधित नहीं है बल्कि विकास कार्य योजना ईएफसी/एसएफसी के तहत खड़जा सड़क के कार्य के संबंध में व्यय राशि बाबत है।

संकल्प सं0 2 दिनांक 20–12–2004 जिसे निगरानी में चुनौती नहीं दी

गई है। आवंटन की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। ग्राम पंचायत द्वारा आवंटन के संबंध में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है और न ही ग्राम पंचायत के पास कोई रेकार्ड है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी सं0 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि आवटंन दिनांक 20–12–2004 का है। निगरानी दिनांक 11.12.15 को पेश की है जो 11 वर्ष के अत्यधिक विलम्ब से पेश की गई है, विलम्ब को स्पष्ट नहीं किया गया है। निगरानी मियाद बाहर पेश की गई है। निगरानी में मियाद के लिए धारा 97(3) में 90 दिन की अवधि निर्धारित की हुई है। अतः मियाद के बिन्दु पर निगरानी खारिज होने योग्य है। बहस में आगे कहा है कि निगरानी के पैरा सं0 4 में कथन किया है कि प्लाट सं0 415 है जबकि दुकान का अलॉटमैन्ट है न कि मकान का। दुकान का नम्बर एस–9 है जिसका साईज 15 गुणा 20 फुट है जो ग्राम पंचायत से खरीद की है। निगरानी के पैरा सं0 9 में कथन किया है कि जानकारी दिनांक 25–2–15 को हुई है । मोहन लाल गैरनिगरानीकर्ता ने वर्ष 2007 में दावा पेश किया था। दुकान का निर्माण वर्ष 2007 में किया हुआ है। निगरानी पोषणीय नहीं है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज होने योग्य है।

जवाब में निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने कहा है कि मानलो निगरानी में गलत तथ्य पेश कर दिये थे लेकिन फिर भी निगरानी के लिए धारा 97 में कोई समय सीमा निर्धारित की हुई नहीं है। रिव्यू में 90 दिन की मियाद है। पक्षकार द्वारा जैसा बताया गया वैसा ही निगरानी की प्लिडिंग में अंकित किया गया है। बैठक का निर्णय 2007 का है जिसमें प्रस्ताव लिया गया था। पंचायत ने इसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है।

ग्राम पंचायत ने जवाब के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत किया है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि निगरानीकृत प्लाट अप्रार्थी सं0 1 को आवंटित किया गया था। वह आबादी भूमि नहीं है बल्कि गैरमुमकिन रास्ता है। रास्ते की भूमि को ग्राम पंचायत को अलॉट करने का अधिकार नहीं है। उक्त तर्क के खण्डन में वकील अप्रार्थी का कथन है कि निगरानी के पैरा सं0 4 में निगरानीकर्ता द्वारा कथन किया गया है कि प्लाट सं0 415 है जबकि वह प्लाट न होकर दुकान का अलॉटमैन्ट है । दुकान का नम्बर एस–9 है जिसका साईज 15 गुणा 20 फुट है जो ग्राम पंचायत से गैरनिगरानीकर्ता सं01 द्वारा खरीद की गई है।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया है कि निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत मन्नीवाली के आदेश दिनांक 20–12–2004 संकल्प सं0 1 को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया है।

संकल्प सं0 1 दिनांक 20–12–2004 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि संकल्प सं0 1 दिनांक 20–12–04 आवंटन से संबंधित नहीं है बल्कि विकास कार्य योजना ईएफसी/एसएफसी के तहत खड़जा सड़क के कार्य के संबंध में व्यय राशि बाबत है।

संकल्प सं0 2 दिनांक 20–12–2004 जिसे निगरानी में चुनौती नहीं दी गई है, का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि क्रम सं0 48 से 80 पर दर्ज पत्रावलियों के माध्यम से 37 मिसलों की राशि दो सौ रूपये प्रति मिसल जमा करवा कर नियमन की कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा की गई है। निगरानीकर्ता द्वारा सभी प्रभावित व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। संकल्प सं0 2 दिनांक 20–12–2004 में अप्रार्थी सं0 1 का नाम क्रम सं0 79 पर दर्ज है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी दोषपूर्ण है क्योंकि निगरानी में

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

संकल्प सं0 1 दिनांक 20–12–2004 को चुनौती दी गई है, जिसका संबंध निगरानी से नहीं है तथा प्रस्ताव सं0 2 दिनांक 20–12–2004 जिसके 37 व्यक्तियों को एक साथ अलॉटमैन्ट किया गया है जिसे निगरानी में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः निगरानी दोषपूर्ण होने से खारिज किये जाने योग्य है।

निष्कर्षतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड ग्राम पंचायत को भेजा जावे।

आदेश आज दिनांक 10–7–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/7/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्री गंगानगर।2

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर